भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3635
सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

राष्ट्रीय रोजगार नीति

3635. श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री राजेन्द्र अग्रवालः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार करने हेतु कोई ठोस कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार-बेरोजगारी पर आयोजित किए गए श्रम बल सर्वेक्षणों के उपलब्ध परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य प्रमुख एवं सहायक स्थिति (यूपीएसएस) (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी की दर 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 में क्रमशः 4.0%, 3.4% एवं 3.7% थी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)*, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किया गया था, के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी की दर 6.0% थी।

*टिप्पणीः तुलना हेतु, पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श के चयन को तैयार किया गया है।

(ख) से (घ): राष्ट्रीय रोजगार नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक अंतर-मंत्रालीय समिति का गठन किया गया था तथा नीति के लिए आगतों हेतु विभिन्न पणधारकों जैसे मंत्रालयों, राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियनों, उद्योग परिसंघों, आईएलओ आदि के साथ परामर्श किया गया था।
प्रस्तावित मसौदागत नीति का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, बृहत्-आर्थिक नीतिगत मुद्दों, क्षेत्रक नीतिगत मुद्दों, श्रम नीतिगत मुद्दों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के मुद्दों, कौशल विकास मुद्दों, महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के कामगारों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है तथा इसमें रोजगार अवसरों में सुधार हेतु सुझाव भी शामिल हैं।

*****